



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 39/2023

दायर दिनांक 03.08.2023

अनवान

1. घीसीलाल पुत्र देवा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नारेली उर्फ रतनी पुत्री देवा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नोजी पत्नि देवा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. ऐजन पुत्री घीसा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मनीष कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाटव उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. महेन्द्र पुत्र सरजु पिता काना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया, हाल मुकाम जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राकेश पुत्र सरजु पिता काना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया, हाल मुकाम जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शान्ति पुत्री सरजु पिता काना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया, हाल मुकाम जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियां भुमिधारी जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 25 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 25 / 11 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री घनश्याम धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



लगातार पेज संख्या 02 पर  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

नीज ..... Nil ..... मुबलिया ..... बाबत .....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीसदी सालाना आज की  
से तारीख वसूल याबी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 11 वर्ष 2025 को  
किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक  
25/11/2025 को मुर्तिब की गई।

3  
(अजीत/सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक संख्या 39/2023

दायर दिनांक 03.08.2023

अनवान

1. घीसीलाल पुत्र देवा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नारेली उर्फ रतनी पुत्री देवा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नोजी पत्नि देवा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

..... वादीगण

1. रेजन पुत्री घीसा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मनीष कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाटव उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. महेंद्र पुत्र सरजु पिता काना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया, हाल मुकाम जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राकेश पुत्र सरजु पिता काना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया, हाल मुकाम जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शान्ति पुत्री सरजु पिता काना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया, हाल मुकाम जावदा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियां भुमिधारी जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री घनश्याम धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादीगण

02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 25 / 11 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.06.2024 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 30 पर अंकित खसरा संख्या 514/461 रकबा 3.8607 हैक्टेयर भूमि का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने



९

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1811 दिनांक 07.11.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादीगण घीसीलाल, नोजी, रतनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.10.2025 के बंटवाड़ा प्रस्ताव को निरस्त फरमाना चाहा है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



3  
(अजीत/सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

**उप खण्ड अधिकारी**

**बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा**

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को लिखवाया जाकर खुद को सुनाया गया।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

**उप खण्ड अधिकारी**

**बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा**